न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/31

1. खाना आत्मज रामधन आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी नौताडा भोपतपुरा तालेडा जिला बून्दी ।
3. रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल आयु 42 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी नौताडा भोपतपुरा तालेडा जिला बून्दी।

---अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री केशवराय जी महाराज स्थान के0 पाटन जिला बून्दी राज0 जरिये व्यवस्थापक संरक्षक एवं हितैषी निरीक्षक देवस्थान विभाग बून्दी ।

उपस्थित :- 1. श्री जितेन्द्र चौरसिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 948 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादी मूर्ति मंदिर केशवराय जी महाराज के खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है । मूर्ति मंदिर श्री केशवराय जी महाराज नाबालिग है तथा उक्त मंदिर के तेल, भोग, पूजा, रखरखाव, मरम्मत, धार्मिक उत्सव, नल, विद्युत आदि का खर्चा एवं अन्य आयोजन तथा मूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं इस पर होने वाले खर्चे का भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा ही किया जाता है किन्तु मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज खातेदारी की उक्त भूमि पर प्रतिवादी ने अवैधानिक रूप से जबरन गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करें ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2020 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि मंदिर का वंशवाद पुजारी नाथूलाल आत्मज गोपाल उर्फ किशन गोपाल है जो काफी वर्षों से मंदिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं उनके द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट से आधोली पर काश्त करवायी जा रही है । नाथूलाल जी को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने नाथूलाल जी को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय पारित किया है । राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 3 (2) राज. 06/7/2019 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर से विधिक टिनेन्ट का नाम विलोपित करने पर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये था तथा पुनः मंदिर माफी की भूमियों पर पुजारी सेवादार आदि के नाम दर्ज कर दिये गये थे । इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र उसी दिन दिनांक 02.12.2020 को पेश कर दिया था परन्तु नकल दिनांक 02.02.2021 को दी गई । इस प्रकार अपीलान्ट उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश कर यह कथन किया था कि ग्राम के0 पाटन में मूर्ति मंदिर श्री केशोराय जी महाराज का मंदिर है जिसकी देखरेख देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है । जरिये निरीक्षक देवस्थान विभाग दावा पेश कर यह कथन किया कि मूर्ति मंदिर के स्वामित्व की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 948 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में स्थित है जिस पर प्रतिवादी ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है । अतः प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे । प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया और यह कथन किया गया कि मूर्ति मंदिर का वंशवाद पुजारी नाथूलाल आत्मज गोपाल है जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा डिक्री किया है । जवाबदावे में यह अंकित किया गया था कि नाथूलाल ने आराजी अधोली पर काश्त करवायी थी । दौराने दावा नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है । अपील में उनके वारिसान को बहैसियत अपीलान्ट पक्षकार

बनाया गया है और धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है । वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के कथनों का खण्डन नहीं किया गया । अपीलान्ट कम 2 व 3 नाथूलाल की मृत्यु के पश्चात् आराजी की व्यवस्था कर रहे हैं और मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.07.2019 के अनुसार अवैधानिक रूप से मंदिर की जमीन से विधिक टिनेन्ट का नाम विलोपित करने पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है जिनकी आराजी पर अपीलान्टगण को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में मूर्ति मंदिर की ओर से यह दावा अपीलान्ट कम 01 के खिलाफ बेदखली का पेश किया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज है । प्रदर्श–2 व 3 के अनुसार राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार केशोराय जी का मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित प्रत्यक्ष प्रकार का मंदिर है । प्रदर्श– 4 के अनुसार सहायक आयुक्त देवस्थान ने निरीक्षक देवस्थान बून्दी को दावा पेश करने के लिए अधिकृत किया है । प्रदर्श– 5 एक तहरीर है । प्रदर्श–6 के अनुसार आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा निरीक्षक देवस्थान को प्रभारी अधिकारी एवं सहायक आयुक्त देवस्थान कोटा को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है । प्रदर्श–7 जिला कलक्टर बून्दी द्वारा निरीक्षक देवस्थान विभाग को जारी पत्र है ।

12. प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है और प्रदर्श– ए–1 एक प्रमाण पत्र है जो दिनांक 08.02.2007 को मुखिया मूर्ति मंदिर श्री केशोराय जी महाराज की ओर से जारी किया गया है । प्रदर्श – ए–2 प्रतिवादी की ओर से पेश की गई तहरीर है । प्रदर्श– ए–3 भी एक तहरीर है ।

13. पत्रावली पर वादी की ओर से बयान भैरूलाल पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

14. प्रतिवादी की ओर से बयान खाना डीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं ।

15. वादी जो कि मूर्ति मंदिर व शास्वत नाबालिग है उनके द्वारा जरिये व्यवस्थापक यह दावा बेदखली का परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया है । पत्रावली में जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 सलंग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज है । प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 की जवाबदावे में मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि मंदिर के वंशवाद पुजारी

नाथूलाल हैं । देवस्थान विभाग को पुजारी हटाने एवं कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और पुजारी नाथूलाल को बेदखल करने की मियाद समाप्त हो चुकी है और प्रतिवादी नाथूलाल की अधोली करते थे । इस क्रम में हमारा मत है कि पुजारी का कब्जा मंदिर की ओर से ही माना जाता है मूर्ति मंदिर के विपरीत नहीं माना जाता है । पुजारी से यदि प्रतिवादी ने अधोली पर वादग्रस्त आराजी ली है तो भी उन्हें इस आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । जहॉ तक मियाद का प्रश्न है मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है और उनकी आराजी पर प्रतिवादी को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि वो अधोली के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बताते हैं तो उनका कब्जा परमिजिव पजेशन की श्रेणी में आएगा न कि प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में । मूर्ति मंदिर जो कि शास्वत नाबालिग है उनके खिलाफ आधोली पर काश्त करने वाले का प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकता। वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि पर कोई अधिकार एवं स्वत्व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट क्रम 2 व 3 ने जो कि स्वयं को मंदिर के पुजारी नाथूलाल के वारिस बताते हैं मूर्ति मंदिर के खिलाफ यह अपील पेश की गई है जबकि पुजारी के हित किसी भी परिस्थिति में मंदिर के खिलाफ नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में उनको परीक्षण न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता । अतः उनका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

16. अपीलान्ट के द्वारा एक आपत्ति तनकीयात के बाबत् की है । प्रकरण में मुख्य विवाद का विषय बेदखली का है जिसका विवेचन परीक्षण न्यायालय के द्वारा एवं इस न्यायालय के द्वारा विस्तार से किया जा चुका है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है जिनकी आराजी पर अपीलान्ट क्रम 01 को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/9/2021

(भागवंती प्रेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/31

1. खाना आत्मज रामधन आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी नौताडा भोपतपुरा तालेडा जिला बून्दी ।
3. रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल आयु 42 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी के0 पाटन जिला बून्दी हाल निवासी नौताडा भोपतपुरा तालेडा जिला बून्दी।

——अपीलार्थी

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री केशवराय जी महाराज स्थान के0 पाटन जिला बून्दी राज0 जरिये व्यवस्थापक संरक्षक एवं हितैषी निरीक्षक देवस्थान विभाग बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 76/दावा/2011

मूर्ति मंदिर श्री केशवराय जी महाराज स्थान के0 पाटन जिला बून्दी राज0 जरिये व्यवस्थापक संरक्षक एवं हितैषी निरीक्षक देवस्थान विभाग बून्दी ।

——वादी

बनाम

खाना आत्मज रामधन आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात**... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.09.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री जितेन्द्र चौरसिया एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14/9/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा